

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1440] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2019/वैशाख 3, 1941 No. 1440] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2019/VAISAKHA 3, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019

का.आ. 1623(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि "इंटरनेशनल सोलर अलायंस" नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'विदेशी स्रोत' नहीं माना जाएगा।

[फा.सं. II/21022/23(78)/2018-एफसीआरए-III] अनिल मलिक, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2019

S. O. 1623(E).—In exercise of the power conferred by sub-clause (ii) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies that the international organization, namely, the "International Solar Alliance" shall not be treated as 'foreign source' for the purposes of the said Act.

[F. No. II/21022/23(78)/2018-FCRA-III] ANIL MALIK, Jt. Secy.

2223 GI/2019